न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० 5,गाजियाबाद

Reg No–2370/2022

परिवाद सं०–102/2022

श्रीमती सीमा बनाम राकेश कुमार गुप्ता

थाना लोनी बार्डर, गाजियाबाद।

दिनांकः 31.10.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी विगत तिथियों की भांति आज भी अनुपस्थित है। उसकी ओर से कोई पैरोकार भी उपस्थित नही आ रहा है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत परिवाद दिनांक 14.10.2022 से परिवादी साक्षी के बयान अन्तर्गत धारा 202 दं०प्र०सं० में नियत चला आ रहा है परन्तु परिवादी द्वारा अभी तक धारा 202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत किसी साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवाद प्रस्तुत परिवाद को आगे नही चलाना चाहता है।

प्रस्तुत परिवाद परिवादी के लगातार गैर हाजिर रहने व साक्ष्य के अभाव में धारा 203 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद धारा–203 दं0 प्र 0 सं0 के तहत खारिज किया जाता हैं।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाए।

(संदीप सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–5,गाजियाबाद।
JO UP–2358